म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2462 दिनांक 06/10/23

कंमाक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 187 वीं सभा की बैठक दिनांक 04/10/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Faculty of Engineering & Technology	B. Tech in Computer Science & Engineering	-	60	60	-	12
		B. Tech in Information Technology	-	60	60	-	
		B. Tech in Computer Science and Information Technology	-	60	60	-	
		B. Tech in Data Science	-	60	60	-	
		B. Tech in Electronics and Communication	-	60	60	-	
		B. Tech in Cloud Computing	-	60	60	-	
2-	Faculty of Commerce and Management	MBA	-	480	300	-	18
		PGP	-	60	60	-	02
		BBA (Hons) + MBA	-	120	120	-	20
		BBA (Hons)	-	240	180	-	17
		B. Com	-	120	120	-	15
		B. Com (Tax Procedure)	-	120	60	-	
		B. Com(Computer Application)	-	120	60	-	
		B. Com(Advertising sales & Management)	-	120	60	-	16
		B. Com(Foreign Trade)	-	120	60	-	
		M.Com	-	120	60	-	
3	Faculty of Science and Computer Science	B.Sc. (Hons) (Biotechnology)	-	120	60	–	21
		B.Sc. (Bio Chemistry)	-	120	60	–	
		B.Sc. (Food Technology)	-	120	60	–	
		B.Sc. Plain	-	120	120	–	
		B.Sc. Forensic Science	-	120	60	–	
		M.Sc. (Bio Technology)	–	120	40	–	23
		M.Sc. (Forensic Science)	–	120	40	–	

निरंतर..2

06/10

क्र	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 की अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
		M.Sc. (Chemistry)	–	120	40	–	
		M.Sc. (Physics)	–	120	40	–	
		M.Sc. (Food Technology)	–	120	40	–	
		M.Sc. (Mathematics)	–	120	40	–	
		BCA	–	180	120	–	24
		BCA + MCA Integrated	–	60	60	–	27
		B.Sc. (Comp. Science)	–	120	120	–	21
		B.Sc. + M.Sc. Integrated (CS)	–	60	60	–	02
		B.Sc. Animation & Multimedia	–	120	120	–	22
		M.Sc. (Comp Science)	–	120	60	–	23
		PGDCA	–	240	180	–	26
4-	Faculty of Performing Arts Humanities and Social Sciences	B.A. (Public Administration)	–	240	240	–	36
		B.A. Psychology	–	120	120	–	36
		M.A. (Public Administration)	–	30	30	–	37
		M.A. Psychology	–	180	60	–	37
		BA Animation and Multimedia	–	120	120	–	36
		Bachelor of Fine Arts (Painting)	–	60	60	–	36
		Bachelor of Fine Arts (Applied Art)	–	60	60	–	36
		Master of Fine Arts (Painting)	–	60	40	–	37
		Master of Fine Arts (Applied Art)	–	60	40	–	37
		Master of Arts (Painting)	–	60	40	–	37
5-	Faculty of Journalism & Mass Communication	B. J.	–	60	60	–	40
		M. J.	–	30	30	–	41
		B. A. (Hons) Mass Comm.	–	60	60	–	38
6-	Faculty of Design	B. Design (Accessories and Fashion	–	240	180	–	42
		Master in Fashion Technology	–	60	60	–	45
		M. Design	-	60	60	–	43

शर्तें :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों के मापण्दडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य होगा।

6/10

निरंतर.....3

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेंकिंग संस्था/ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

06/11/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन 2463 **/ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24** **दिनांक** 06/10/2023
प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

06/11/2023

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल